राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2111/2014/झालावाड़

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत झालावाड। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सोनू स्टोन पोलिशर्स
झालरापाटन, झालावाड। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

विवेक सिंघल,
अधिकृत अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 14/10/2015

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर कैम्प कोटा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत झालावाड (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.09.2004 के द्वारा आरोपित शास्ती को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2000–01 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.09.2004 को पारित किया गया था। प्रत्यार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में रूपये 4,95,337/– का रफ मोटा कोटा स्टोन एसटी–17 घोषणा पत्र पर पुनः विक्रय के लिये बिना कोई कर चुकाये खरीद करना प्रदर्शित किया। जबकि उसने इस मोटे कोटा स्टोन का स्पिलिटिंग के द्वारा चिराई कर पतली साईज के पत्थर तैयार कर विक्रय किया था। कर निर्धारण अधिकारी ने यह माना कि प्रत्यार्थी व्यवहारी एक विर्निमाता है जो मोटे कोटा स्टोन से पतले कोटा स्टोन तैयार कर विक्रय करता है। इसलिये उस पर 1 प्रतिशत से क्रय कर का दायित्व मानते हुए 4,960/– रूपये का क्रय कर, 743/– रूपये का सरचार्ज, 4,120/– रूपये का ब्याज एवं घोषणा पत्र में गलत घोषणा करने के कारण धारा 64 के तहत 11,406/– रूपये की शास्ति आरोपित करते हुए 15,526/– रूपये की मांग कायम की। जबकि इस अवधि में 3 प्रतिशत क्रय कर का दायित्व था। इसलिये कर निर्धारण अधिकारी ने इस मूल आदेश को संशोधित करने हेतु सूचना पत्र जारी किया

लगातार.....2

लेकिन प्रत्यार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ इसलिये विवादित आदेश दिनांक 22.09.2004 द्वारा 4,95,331/– के रफ मोटे कोटा स्टोन की खरीद पर 3 प्रतिशत से 14,860/– का कर, 2,230/– का सरचार्ज, 12,305/– रूपये का ब्याज एवं 34,180/– रूपये की शास्ति धारा 64 के तहत आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर, सरचार्ज एवं ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्ति रूपये 34,180/– को अपास्त कर दिया। विद्वान अपीलीय अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय में शास्ति को समाप्त किया जाना अनुचित है क्योंकि प्रार्थी व्यवहारी द्वारा घोषणा पत्र का दुरूपयोग किया गया है अतः धारा 64 के तहत शास्ति आकर्षित होती है एवं तदनुरूप कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश में आरोपित शास्ति का समर्थन किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया तथा अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को में यह कहा है कि प्रत्यार्थी व्यवहारी एक पंजीकृत व्यवसायी है उसने रफ मोटे कोटा स्टोन राज्य में पुनः विक्रय करने हेतु घोषणा पत्र एसीटी–17 पर क्रय किया और चिराई कर पतली साईज के पत्थर बनाकर विक्रय किया है इस प्रकार पत्थर तो पत्थर ही है उसकी चिराई करने से कोई नई वस्तु का विनिर्माण नहीं हुआ है केवल मोटे व पतले का ही अन्तर आता है इसलिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को विनिर्माता मानते हुए जो क्रय कर, सरचार्ज ब्याज उसके द्वारा स्वीकार कर उन्होंने मांग राशि जमा भी करवाई है परन्तु शास्ति आरोपण अनुचित होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से समाप्त की गई है। शास्ति आरोपण से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी का दोषी मनोभाव देखना आवश्यक है, कि क्या कर चोरी की नियत से उसके द्वारा क्रय कर नहीं चुकाया गया, एवं इस आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा क्रय कर, सरचार्ज एवं ब्याज की पुष्टि के सम्बन्ध में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह स्पष्ट है कि वह इस हद तक कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों से संतुष्ट है। जहां तक शास्ति आरोपण का प्रश्न है, शास्ति आरोपण दोषी मनोभाव सिद्ध करने पर ही आरोपित की जा सकती

लगातार.....3

है। प्रार्थी व्यवहारी ने यद्यपि बिना कर चुकाए घोषणा पत्रों के आधार पर माल विक्रयार्थ क्रय किया था परन्तु उसको उसने निर्माण में उपयोग कर लिया अर्थात अधिनियम की धारा 10 के प्रयोजनार्थ माल का उपयोग कर लिया गया है अतः धारा 10 के तहत प्रयोजनार्थ घोषणा पत्रों के आधार पर क्रय किये गये माल का निर्माण प्रक्रिया में उपयोग कर लिये जाने के कारण अपीलीय अधिकारी के विवेचनानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण अनुचित है। अपीलीय अधिकारी के उक्त विवादित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं प्रतीत होती है। तदनुरूप अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

6. फलतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय प्रसारित किया गया।

14.10.2015

(मदन लाल)
सदस्य